(b) if so, what steps are being contemplated to reduce the number of Curves by straightening the curves and checking the speed of the moving vehicles, particularly of trucks ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : (a) and (b). The information required is being collected from the Government of Bihar and will be laid on the table of the Sabha, when received.

Free Text Books to Students to class I and II by New Delhi Municipal Committee

3176. SHRI C K. CHANDRAPPAN : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state whether the New Delhi Municipal Committee has decided to give free text books to all the students of class I and II in an effort to achieve full literacy ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D P YADAVA) No, Sir. The New Delhi Municipal Committee supply free text books only to those students of classes I to V whose parent's income does not exceed Rs 200/-p.m.

कोटा स्थित उत्पाद-शुल्क विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की संख्या

3177. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा स्थित उत्पाद शुल्क विभाग (नार्कोटिक्स) में प्रत्येक श्रेणी में कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ग) उन्हें भरने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) : उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा के अधीन विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :

श्रेणी	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित-जन जातियां
उप अधीक्षक (अधिशासी)	1	—
उच्च श्रेणी लिपिक	5	—
निम्न श्रेणी लिपिक	1	—
निरीक्षक	1	1
गुमाश्ता	1	—
उपनिरीक्षक/ कोठी मुहर्रिर	8	—
ड्राइवर	—	1
चतुर्थ श्रेणी	16	6
जोड़	33	8

(ख) उप-नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा के अधीन विभिन्न ग्रेडों में रिक्त पदों की कुल संख्या 140 है जिनमें से 105 रिक्त पद चतुर्थ श्रेणी में है।

(ग) सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं की जा सकतीं क्योंकि उनमें से कुछ पदों को सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में कर्मचारियों की मंजूर शुदा संख्या के तीन प्रतिशत तक किफायत के उपाय के रूप में खाली रखा जाता है। जहां तक चतुर्थ श्रेणी में चपरासी, जमादार, फराश तथा झाड़ूकश के ग्रेडों के बाकी रिक्त पदों का संबंध है, उन पर, सीधी भर्ती पर लगे हुए प्रतिबंध के कारण ऐसी भर्ती नहीं की जा